

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

:: कार्यालय आदेश ::

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग के फाउन्डीमैन (मोल्डर) (डिग्री/डिप्लोमा) (विज्ञापन सं०-43/2023) के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों (जिनके स्थायी अथवा अस्थायी पदों से चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त है) को अधोलिखित शर्तों के अधीन मूल कोटि के व्यवसाय अनुदेशक के वेतनमान वेतन स्तर-6 (₹ 35,400-83,000) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ योगदान करने की तिथि से औपबन्धिक रूप से नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-7 में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

S. NO.	APPLICATION NO.	NAME	BTSC SAMEKIT S. NO.	SELECTION CATEGORY	HOME DISTRICT	PLACE OF POSTING
1	2	3	4	5	6	7
1	DD018440	UPENDRA KUMAR	1	UR	PATNA	ITI HATHUA
2	DD025306	SANJEET KUMAR	2	UR	NALANDA	ITI SITAMARHI
3	DD007803	SANDEEP KUMAR	3	UR	EAST CHAMPARAN	ITI MARHOWRAH
4	DD009457	SOLAN KUMAR YADAV	4	BC(BC-II)	PATNA	ITI SUPAUL
5	DD000349	SANJEEV KUMAR	5	EWS	BEGUSARAI	ITI BIRPUR
6	DD005987	MD SHAHNAWAZ	6	EBC(BC-I)	PATNA	ITI BEGUSARAI
7	DD012665	AVINASH KUMAR	7	BC(BC-II)	PATNA	ITI BHAGALPUR
8	DD001068	MD HASNAIN AAZAM	8	EBC(BC-I)	AURANGABAD	ITI DEHRI ON SONE
9	DD017462	PUSHPA KUMARI	16	UR FEMALE	VAISHALI	ITI KATIHAR
10	DD013173	DEEPAK KUMAR RAVI	17	SC	AURANGABAD	ITI MUZAFFARPUR
11	DD010451	KAUSHAL KUMAR	20	SC	PURNIA	ITI DIGHA
12	DD023717	PALLAVI JOSHI	22	UR FEMALE	PATNA	ITI NAWADA

2. उपर्युक्त सभी अभ्यर्थियों की औपबन्धिक नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों, शपथ-पत्र, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा, अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में दी गयी सूचनायें आदि के आधार पर किया जा रहा है। अनुभव प्रमाण पत्र सहित इन प्रमाण पत्रों की जांच पदस्थापित कार्यालय के कार्यालय प्रधान द्वारा करायी जायेगी। यदि कोई प्रमाण पत्र या संबंधित कागजात किसी दृष्टिकोण से सम्पुष्टि के क्रम में असत्य या त्रुटिपूर्ण पाया जायेगा तो उनकी सेवा तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी और वेतनादि के मद में प्राप्त की गई राशि की वसूली के साथ-साथ विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।



3. सभी नियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी। इस अवधि में संवर्ग हेतु विहित प्रशिक्षण एवं संवर्ग नियमावली के प्रावधानों के आलोक में विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
4. सभी अभ्यर्थियों द्वारा योगदान करते समय वांछित दस्तावेज, जो भी लागू हो के अतिरिक्त निश्चित रूप से सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने संबंधी घोषणा पत्र एवं सिविल सर्जन द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।
5. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-2082, दिनांक-01.4.2003 के अनुपालन में प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है, जिसे योगदान करने के समय मूलरूप में प्रस्तुत करना होगा।
6. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे पत्र निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर स्तम्भ-7 में अंकित स्थान में योगदान लेंगे। योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। योगदान करने की सूचना नियुक्ति पत्र की प्रति के साथ अधोहस्ताक्षरी को भी देंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
7. प्रस्ताव में निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

(सुयश वरदान)

उप निदेशक प्रशिक्षण

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण

(प्रशिक्षण पक्ष) बिहार, पटना।

संख्या-टी0-1/स्था0(6)अनु0-09/2025 1085 /

पटना-15, दिनांक-22/04/2025

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उप निदेशक प्रशिक्षण

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण

(प्रशिक्षण पक्ष) बिहार, पटना।

संख्या-टी0-1/स्था0(6)अनु0-09/2025 1085 /

पटना, दिनांक-22/04/2025

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सम्बन्धित कोषागार/उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप निदेशक प्रशिक्षण

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण

(प्रशिक्षण पक्ष) बिहार, पटना।

संख्या-टी0-1/स्था0(6)अनु0-09/2025 1085 /

पटना, दिनांक-22/04/2025

प्रतिलिपि-सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, बिहार/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप निदेशक प्रशिक्षण

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण

(प्रशिक्षण पक्ष) बिहार, पटना।